# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

## पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 01/2025

बउनवान

1. हेमराज आयु 76 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल जाति मीणा निवासी तिखोद तहसील अन्ता जिला बारां
2. इन्द्रराज उम्र 44 वर्ष पुत्र श्री रामदयाल जाति मीणा निवासी तिखोद तहसील अन्ता जिला बारां
3. नन्दलाल आयु 46 वर्ष पुत्र श्री रामदयाल जाति मीणा निवासी तिखोद 2 तहसील अन्ता जिला बारां
4. जगदीश उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री छोटूलाल जाति कीर निवासी तिखोद तहसील, अन्ता जिला बारां
5. रामकस्तूर आयु 60 वर्ष पुत्र श्री छोटूलाल जाति कीर निवासी तिखोद तहसील अन्ता जिला बारां
6. रामचरण आयु 52 वर्ष श्री छोटूलाल जाति कीर निवासी तिखोद तहसील अन्ता जिला बारां
7. भवानीशंकर, आयु पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी तिखोद तहसील अन्ता जिला बारां
8. मोहनलाल आयु 54 वर्ष पुत्र सुखदेव जाति कीर निवासी तिखोद तहसील अन्ता जिला बारां
9. रमेश आयु पुत्र रामचन्द्र जाति कीर निवासी तिखोद तहसील अन्ता जिला बारां —प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग, अन्ता
3. उप वन संरक्षक, बारां — अप्रार्थीगण

**कार्यवाही अन्तर्गत द्वारा 14 (4) राज० लेण्ड रेवेन्यू एक्ट वास्ते निरस्त करने आवंटन आदेश 09/02/2023**

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

उपस्थितः—1. श्री राजेश कुमार गुप्ता अभिभाषक, (प्रार्थीगण)
2. पेरोकार सरकार (अप्रार्थी कम 1)

**निर्णय दिनांक 27.10.2025**

प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम तीखोद तहसील अन्ता जिला बारां के खाता संख्या 145 खसरा नंबर 109 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नंबर 147 रकबा 0.04 हेक्टेयर, खसरा नंबर 148 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नंबर 149 रकबा 0.20 हेक्टेयर, खसरा नंबर 150 रकबा 0.10 हेक्टेयर, खसर नंबर 152 रकबा 2.80 हेक्टेयर कुल कित्ता 6 कुल रकबा 3.21 हेक्टेयर आराजी गैरमुमकिन आबादी ग्राम पंचायत बालदडा पंचायत समिति अन्ता जिला बारां राज० की खातेदारी में दर्ज है। उक्त वर्णित गैरमुमकिन आबादी भूमि पर ग्राम पंचायत बालदडा का ग्राम तीखोद बसा हुआ है जिसमे ग्रामवासी अपने पालतू मवेशियो एंव कृषि कार्य से उपयोग आने वाले यंत्रों के साथ निवास करते है। ग्राम तिखोद तहसील अन्ता की गैरमुमकिन आबादी भूमि जिस पर गांव बसा हुआ है उसके समीप ही राजस्थान सरकार की खाता संख्या 1 में वर्णित बंजड भूमि खसरा नंबर 57 रकबा 4.70 हेक्टेयर खसरा नंबर 58 रकबा 3.40 हेक्टेयर, खसरा नंबर 56 रकबा 6.00 हेक्टेयर, खसरा नंबर 59 रकबा 6.00 हेक्टेयर, खसरा नंबर 60 रकबा 9.00 हेक्टेयर, खसरा नंबर 61 रकबा 2.70 हेक्टैयर, खसरा नंबर 63 रकबा 7.30 हेक्टेयर, खसरा नंबर 546/80 रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नंबर 81 रकबा 4.00 हेक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.11.17 10:22:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारॉं (राज०)

खसरा नंबर 82 रकबा 4.00 हेक्टेयर व खसरा नंबर 547/64 रकबा 10.80 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित खसरा नंबरान मे कच्चे रास्ते का निर्माण हो रहा है। जिसका उपयोग उपभोग ग्रामवासीयान कृषि कार्य करने, फसल बोने, व फसल को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त करते है। दाःह संस्कार हेतु ग्रामवासियान का मुक्तिधाम भी बना हुआ है जो गांव की आबादी से काफी दूर है। मुक्तिधाम जाने के लिए भी ग्रामवासीयान उक्त कच्चे रास्ते का उपयोग उपभोग करते हैं तथा ग्राम स्थापना के समय से ही हनुमान मन्दिर, भैरुजी महाराज जिन्द बाबा का चबूतरा, देवजी महाराज का चबूतरा, हीरामन जी का चबूतरा आदि देवस्थान बने हुए है जिनकी सेवा पूजा ओर दर्शन करने के लिए भी ग्रामवासीयान उक्त बंजड भूमि मे से होकर आने जाने के लिए उपयोग उपभोग कर रहे है। ग्राम तीखोद मे राजस्थान सरकार के खाता संख्या 1 में वर्णित खसरा नंबर 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 547/64, 546/80, 81, 82 कुल किता 11 रकबा 52.69 हेक्टेयर किस्म बंजड को हथियादेह डूब क्षेत्र में आ रही वन विभाग की भूमि की एवज में उक्त वर्णित खसरा नंबरान की भूमि को वन विभाग को आवंटित किया गया है जबकि उक्त वर्णित खसरा नंबरान मे से नोनेरा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में भी आ रहे है। उक्त वर्णित खसरा नंबरान को गांव के नजदीक होने तथा उक्त खसरा नंबरान अलग अलग स्थान पर स्थित होने के कारण वन विभाग के लिए उपयोगी नही है तथा वन विभाग ने भी उक्त भूमि को अधिगृहण करने से इन्कार कर दिया है इसलिए उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त भूमि के अतिरिक्त ग्रामवासियान के पास अपने मवेशी बांधने, कृषि यंत्र आदि रखने के लिए अन्य कोई उपयुक्त स्थान नही है. परन्तू उक्त आवंटन के कारण ग्रामवासियान को अत्यधिक असुविधाओ का सामना करना पड़ेगा इसलिए भी न्यायहित मे उक्त आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त आवंटित भूमि के नजदीक ही खातेदारो की कृषि आराजियात भी स्थित है यदि वन विभाग को वांछित प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि का उपयोग उपभोग किया गया तो ग्रामवासियान की फसल को नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना है इसलिए भी उक्त आवंटन निरस्त किए जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि उक्त आवंटन आदेश दिनांक 09/02/2023 बहक वन विभाग अन्ता निरस्त किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी कम 1 की ओर से पेरोकार सरकार तथा अप्रार्थी कम 2 व 3 की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए। पर्याप्त समयावधि में भी किसी भी अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। तथा अप्रार्थी कम 2 व 3 के प्रतिनिधि दिनांक 25.08.2025 को उपस्थित हुये तत्पश्चात बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी वन विभाग को आवंटित आराजी मे कच्चे रास्ते का निर्माण हो रहा है। जिसका उपयोग उपभोग ग्रामवासीयान कृषि कार्य करने, फसल बोने, व फसल को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त करते है। दाःह संस्कार हेतु मुक्तिधाम जाने के लिए भी ग्रामवासीयान उक्त कच्चे रास्ते का उपयोग उपभोग करते हैं तथा ग्राम स्थापना के समय से ही हनुमान मन्दिर, भैरुजी महाराज जिन्द बाबा का चबूतरा, देवजी महाराज का चबूतरा, हीरामन जी का चबूतरा आदि देवस्थान बने हुए है जिनकी सेवा पूजा ओर दर्शन करने के लिए भी ग्रामवासीयान उक्त बंजड भूमि मे से होकर आने जाने के लिए उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त आवंटित अराजी गांव के नजदीक होने तथा अलग अलग स्थान पर स्थित होने के कारण वन विभाग के लिए उपयोगी नही है तथा वन विभाग ने भी उक्त भूमि को अधिगृहण करने से इन्कार कर दिया है इसलिए उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त भूमि के अतिरिक्त ग्रामवासियान के पास अपने मवेशी बांधने, कृषि यंत्र आदि रखने के लिए अन्य कोई उपयुक्त स्थान नही है। उक्त आवंटन के कारण

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.11.17 10:22:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

ग्रामवासियान को अत्यधिक असुविधाओ का सामना करना पडेगा इसलिए भी न्यायहित मे उक्त आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त आवंटित भूमि के नजदीक ही खातेदारो की कृषि आराजियात भी स्थित है यदि वन विभाग द्वारा आवंटित भूमि का उपयोग उपभोग किया गया तो ग्रामवासियान की फसल को नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना है इसलिए भी उक्त आवंटन निरस्त किए जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि उक्त आवंटन आदेश दिनांक 09/02/2023 बहक वन विभाग अन्ता निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग द्वारा हथियादेह बांध के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के एवज में राजस्व भूमि आवंटित किये जाने की मांग करने पर तहसीलदार अन्ता द्वारा नियमानुसार वन विभाग को आदेश दिनांक 09.02.2023 द्वारा आवंटित आराजी प्रस्तावित की जिस पर राजस्व (ग्रुप–3) विभाग द्वारा राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात आदेश दिनांक 09.02.2023 से उक्त भूमि वन विभाग को आवंटित की गई है। वन विभाग द्वारा भी उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में कोई आपत्ति नही की है। हथियादेह बांध का निर्माण कार्य भी जन उपयोगी कार्य है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन पूर्णतया वैद्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि जल संसाधन विभाग द्वारा हथियादेह बांध के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के एवज में राजस्व भूमि आवंटित किये जाने की मांग करने पर तहसीलदार अन्ता से नियमानुसार उपर्युक्त भूमि के प्रस्ताव प्राप्त कर राजकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार अपीलाधीन आराजी का आवंटन वन विभाग को किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सारहीन होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.11.17 10:22:51 IST
Reason: SelfAttested